न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 12/2024

अपीलार्थी–

तहसीलदार गडरारोड़

बनाम

उत्तरदाता–

ओमप्रकाश पुत्र श्रवणराम
जाति मेघवाल निवासी
गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक 172464 दिनांक 11.10.2023 जो उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट प्रफॉर्मा पक्षकार।
2. उतरदाता संख्या 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.01.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गडरा रोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म–क में एक प्रार्थना–पत्र नायब तहसीलदार गडरा रोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 965/92 रकबा 0.0[illegible] हैक्टेयर की खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 11.10.2023 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया जिसे रिमाण्ड करवाते हुए नियमानुसार पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में अपीलांट ने दिनांक 26.06.2024 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन भूमि के पास अपनी खातेदारी मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 965/92 रकबा 0–4046 हैक्टेयर में से 4000 वर्गमीटर भूमि भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु नायब तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण मे आवासीय (युनिट) संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ आदेश को नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है, उस समय तत्कालीन तहसीलदार गडरारोड़ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था। तहसीलदार गडरारोड़ की एस.एस.ओ. आईडी मैपिग नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किया गया। उक्त संपरिवर्तन आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार मे नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया। जो पूर्णतया विधि–विरूद्ध एवं न्याय के मूलभूत एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे तथा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से [illegible] गया कि मेरे द्वारा संपरिवर्तन आदेश में [illegible] जमा करवाई गई है। यदि उक्त आदेश में कोई मानवीय भूल [illegible] हैं तो अपील को स्वीकृत करते

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हुए पुनः सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाने की अनुकम्पा करावे।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म–क में एक प्रार्थना–पत्र नायब तहसीलदार गडरा रोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 965/92 रकबा 0–4046 हैक्टेयर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 11.10.2023 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया जिसे रिमाण्ड करवाते हुए नियमानुसार पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में अपीलांट ने दिनांक 26.06.2024 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के निरीक्षण दिनांक 14.03.2024 को संपरिवर्तन प्रकरणों की पत्रावलीयों का अवलोकन करने के उपरांत बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार की हैसियत से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये है, जिसके लिए नायब तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं है तथा न हीं पत्रावलीयों पर तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार को संपरिवर्तन आदेश जारी करने हेतु अनुमोदन या अधिकृत किया गया है। [illegible] को स्वीकार करवाते हुए नियमानुसार संपरिवर्तन [illegible] आदेश फरमावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 की [illegible] गया कि मेरे द्वारा संपरिवर्तन आदेश में नियमानुसार राशि [illegible]कोष मे जमा करवाई गई है। यदि उक्त आदेश में कोई मानवीय भूल हुई हैं तो अपील को स्वीकृत करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हुए पुनः सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाने की अनुकम्पा करावे। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है उक्त संपरिवर्तन आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी आदेश पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.10.2023 पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा मौजा गडरारोड़ के संपरिवर्तन आदेश 172464 दिनांक 11.10.2023 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार गडरारोड़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उक्त प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश पुनः जारी करते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

(राजेन्द्र सिंह चन्डावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested